राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्र. प.2(18)नविवि/5/2009 पार्ट–VIII

जयपुर, दिनांक 23.5.18

आदेश

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि, अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी–2009 के अन्तर्गत आवंटियों में से कुछ आवंटियों की समय पर सूचना नही मिलने कारण आंशिक राशि जमा होने से शेष रह गई है। अधिकांश मामलों में बकाया राशि रु 5000/– से भी कम है। इन आवाटियों में से अधिकाशं ने विभिन्न बैकों/संस्थाओं से आवास ऋण लेकर राशि जमा कराई है तथा ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा ऋण पर प्रतिमाह किश्त की वसूली की जा रही है। ऐसी स्थिति में इन आवंटियों के आवास निरस्त किये जाने की स्थिति में आवंटी द्वारा जमा कराई गई राशि में से नियमानुसार 10 प्रतिशत राशि की कटौती कर शेष राशि का भुगतान जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटी को किये जाने पर ऐसे आवंटियों पर अत्याधिक आर्थिक भार पडेगा।

उपरोक्त स्थिति के मध्यनजर जनहित में यह निर्णय लिया गया है कि अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी–2009 के अन्तर्गत ऐसे आवंटी जिनकी बकाया राशि रु 5000/– तक है तथा आदेश जारी होने की तिथि से एक माह की अवधि में बकाया राशि संबंधित प्राधिकरण/न्यास/स्थानीय निकाय में जमा कराते हैं तो प्राधिकरण/न्यास/स्थानीय निकाय द्वारा आवास निरस्तीकरण की कार्यवाही नही की जावे। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

23/5/18

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके अधीन समस्त नगरीय निकायों को निर्देशित किये जाने हेतु।
5. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त।
8. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
9. रक्षित पत्रावली।

23/4/18

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम